प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 14.08.2025**

थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 नफ़र अभियुक्त को उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 32 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद करते हुए किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, आज दिनांक 14.08.2025 को थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा चिरखिरी गांव से पहले पानी की टंकी तिराहा मोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तभी एक व्यक्ति ग्राम चिरखिरी से झींझक की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वह पीछे मुडकर तेज कदमों से वापस चिरखिरी की तरफ जाने लगा। पुलिस द्वारा रूकने के लिए कहा गया तो वह और तेज कदमों से चलने लगा। बदमाश होने के शक पर पुलिस द्वारा घेरकर उक्त व्यक्ति को पानी की टंकी तिराहा मोड चिरखिरी से लगभग 50 कदम की दूरी पर रोड पर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय उर्फ कल्लू पुत्र तेजसिंह निवासी ग्राम नहर पुल कंचौसी, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात बताया व जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 32 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 277/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय उर्फ कल्लू उम्र 45 वर्ष पुत्र तेज सिंह निवासी नहरपुल कंचौसी, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 554/2017 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 198/2019 धारा 3/27 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 228/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर, कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 267/2025 धारा 115(2)/126(2)/3(5)/324(4) बीएनएस थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 275/2025 धारा 115(2)/126(2)/131/3(5)/351(3)/352 बीएनएस थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 277/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मंगलपुर पुलिस